

# न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 42/2022 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये बनाम 1. चुन्नीलाल पिता हीरा गुर्जर निवासी  
तहसीलदार बिजौलिया जिला आरोली तहसील बिजौलिया  
भीलवाड़ा

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री बी. एल. वैष्णव अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से



## निर्णय

दिनांक 12.03.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम आरोली तहसील बिजौलिया की आ.न. 1172/978 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काशत नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम आरोली तहसील बिजौलिया की आ.न. 1172/978 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काशत नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी ने आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना कर लगातार कृषि कार्य किया हैं। पटवारी हल्का द्वारा यदि निरन्तर जिन्सवारी नही की गयी हैं तो इसमें विपक्षी की क्या

गलती हैं? राजस्व नियमावली के अनुसार आवंटी को राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970) के नियम में किये गये संशोधन अनुसार आवंटित भूमि में आवंटी को तीन वर्ष पश्चात् स्वतः खातेदारी अधिकार प्रदत्त हो जाते हैं। आवंटन सलाहकार समिति ने नियमानुसार आवंटन आदेश जारी किये हैं एवं ऐसा आवंटन बिना किसी तकनीकी त्रुटि के खारिज किये जाने योग्य नहीं हैं। उक्त प्रकरण आवंटन के लगभग 33 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरुद्ध है। निवेदन है कि आवंटन निरस्तीकरण का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर आवंटी के आवंटन को बहाल रखाये जाने का आदेश प्रदान करावें। विपक्षी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आरआरडी 1997 पेज 195 पेश किये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम आरोली तहसील बिजौलिया की आ.न. 1172/978 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी स्वयं ने भी आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नहीं किया है, न ही आवंटन के प्रथम 03 वर्ष में विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना कर आवंटनशुदा भूमि पर काश्त की गयी हो, इस प्रकार का कोई प्रमाणिक दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

## आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम आरोली तहसील बिजौलिया की आ.न. 1172/978 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बिजौलिया को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम आरोली तहसील बिजौलिया की आ.न. 1172/978 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा